3/7/19 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगाई गई। पक्षकार की ओर से वकील साहब की अनुपस्थिति अतः पक्षकार की ओर से वकील की अग्रिम कार्यवाही व अग्रिम पेशी के आदेश 0.17 R 3 CPC के तहत पक्षकार के खिलाफ किया जाता है। निकल फैसल सुनाया जाकर पत्रावली रोजनामचा वगैरा तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner